रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222750
CG-DL-E-26102020-222750

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3377] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2020/कार्तिक 4, 1942
No. 3377] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/ KARTIKA 4, 1942

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2020

का. आ. 3807(अ).—केन्द्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनानेवाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 है।

(2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे यह भारत राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. तत्काल प्रभाव से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किए जाते हैं, उक्त आदेश की अनुसूची द्वारा निदेशित

अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इस प्रकार निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में, कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा वहां, यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं विर्निष्ट शब्द उस धारा या उसके भाग में आते हैं, किया जाएगा।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि का अनुकूलन करते हैं, या उसका उपांतरण करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्तूबर, 2019 से पहले सम्यक रूप से जारी की गई किसी अधिसूचना, किए गए आदेश, की गई प्रतिबद्धता, कुर्की, बनाई गई उपविधि, बनाए गए नियम या विनियम को या सम्यक रूप से की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, वैसे ही विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानों वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो।

6. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विधि का निरसन या संशोधन —

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रुप से की गई या सहन की गई किसी बात को;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को;

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता , दायित्व शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को, प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 या यह आदेश पारित या जारी नहीं किया गया हो ।

(2) उप पैरा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी विधि के अधीन की गई कोई बात या किसी कार्रवाई को (जिसके अंतर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित प्रारूप, उप-विधि या स्कीम, अभिप्राप्त प्रमाण पत्र, दिया गया परमिट या अनुज्ञप्ति या किया गया रजिस्ट्रीकरण

या निष्पादित करार भी है) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को अब विस्तारित और लागू केन्द्रीय विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक अब जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारित केन्द्रीय विधियों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है।

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

केन्द्रीय विधि

1. भू-संपदा (विनियिमन और विकास) अधिनियम, 2016

(2016 का 16)

धारा 86.— उप-धारा (2) में दोनों स्थानों पर आए "पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सरकार" शब्दों के स्थान पर, "पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सरकार और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार " शब्द रखें।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

(2002 का 54)

धारा 13.- उप-धारा (3क) में, इसके परंतुक में "या धारा 17क के अधीन जिला न्यायाधीश के न्यायालय" शब्दों का लोप करें; और

धारा 18(ग).- (i) उप-धारा (1) में, "या धारा 17क", " या धारा 18ख", " या जिला न्यायाधीश के न्यायालय" और "अथवा उच्च न्यायालय" शब्दों का लोप करें; और

(ii) उप-धारा (3) में, " या जिला न्यायाधीश के न्यायालय" और " या उच्च न्यायालय" शब्दों का लोप करें।

धारा 19 में.-

(i) दोनों स्थानों पर आने वाले " या जिला न्यायाधीश का न्यायालय" शब्दों का लोप करें;

(ii) "या धारा 17क" शब्दों का लोप करें;

(iii) " या उच्च न्यायालय" शब्दों का लोप करें;

(iv) "या धारा 18क" शब्दों का लोप करें।

(v) "धारा 18ख में निर्दिष्ट और" या उच्च न्यायालय" शब्दों का लोप करें।

नई धारा का अंत:स्थापन :- धारा 19 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित करें : -

लंबित आवेदनों का **"19क.-** धारा 17क और धारा 18ख के अधीन क्रमश: जिला

अंतरण	न्यायाधीश के न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी आवेदन यथास्थिति, अधिकरण तथा अपील अधिकरण, को अंतरित हो जाएंगे।

3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

(1974 का 2)

धारा 24.— उप-धारा (7) में, "उप-धारा (6) " शब्दों के स्थान पर, ''उप-धारा (6) अथवा उप-धारा (6क)'' शब्द रखें।

धारा 25क.— उप-धारा (4) में ''संयुक्त निदेशक'' शब्दों के स्थान पर, ''अभियोजन निदेशक'' शब्द रखें।

[फा. सं.11012/21/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

ORDER

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3807(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely: –

1. (1) This Order may be called the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule to this Order, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not

render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st day of October, 2019; and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

(a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 or this Order had not been passed or issued.

(2) Subject to the provisions of sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, form, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Central Laws now extended and applicable to the Union territory of Jammu and Kashmir and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Central Laws now extended to the Union territory of Jammu and Kashmir.

THE SCHEDULE

(See Paragraph 3)

CENTRAL LAW

1. THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016

(16 of 2016)

Section 86.— In sub-section (2), for " the Union territory Government of Puducherry" occurring at both the places, substitute, "the Union territory Government of Puducherry or the Union territory Government of Jammu and Kashmir. "

2. THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002
(54 of 2002)

Section 13.- In sub-section (3A), in proviso thereto, omit "or the Court of District Judge under section 17 A".

Section 18(C).- (i) in sub-section (1), omit "or section 17 A", "or section 18 B", "or the court of District Judge" and "or the High Court"; and

(ii) in sub-section (3), omit "or the court of District Judge" and "or the High Court".

In Section 19.-

(i) Omit "or the Court of District Judge", occurring at both the places;
(ii) Omit "or section 17 A" occurring at both the places;
(iii) Omit "or the High Court;
(iv) Omit "or section 18A" occurring at both the places; and
(v) Omit "or the High Court referred to in section 18B' occurring at the end.

Insertion of new section:- After section 19, insert-

Transfer of Pending Applications. **"19A.-** All the pending applications before the court of District Judge and the High Court under sections 17A and 18 B respectively, shall stand transferred to the Tribunal and the Appellate Tribunal, as the case may be.".

3. CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

(2 of 1974)

Section 24.— In sub-section (7), for " sub-section (6)", substitute "sub-section (6) or sub-section (6A) " ,

Section 25A.— In sub-section (4), for " Joint Director", substitute " Director Prosecution".

IndiaCode

[F.No.11012/21/2020-SRA]
AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3808(अ).— केन्द्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनानेवाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) पांचवां आदेश, 2020 है।

(2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे यह भारत राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. तत्काल प्रभाव से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किया जाता है, उक्त अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इस प्रकार निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी निर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में, कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा वहां,